राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक :–एफ.28( )पंरावि/प्रशा–2/ग्रा.से.भर्ती/पार्ट/2017/1072 जयपुर,दिनांकः– 27/2/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद – बून्दी, कोटा, पाली एवं हनुमानगढ के अतिरिक्त समस्त)

विषय :– ग्राम सेवक सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन बाबत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा ग्राम सेवक सीधी भर्ती–2016 में ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव के पद हेतु सफल रहे अभ्यर्थियों की द्वितीय सूची उपलब्ध करवाई गई है । अभ्यर्थियों की मैरिट एवं उनकी प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटन कर दिया गया है । सम्पूर्ण जिला आवंटन का विवरण विभागीय वेबसाईट www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है ।

सभी जिलों को उनके जिले को आवंटित पात्र अभ्यर्थियों की सूचीयां एवं उनके फार्म की प्रतियां अलग से भिजवाई जा रही है । सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे समस्त आगामी कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करेंगे ।

चयन एवं पंचायत समिति आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु सभी जिलों में जिला स्थापना समिति की बैठक 09.03.2018 तक आवश्यक रूप से आयोजित किया जाना समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे । इसी प्रकार पंचायत समिति स्तर पर आवश्यक रूप से 15.03.2018 तक पंचायत समितियों की प्रशासन एवं स्थापना समितियों की बैठक कर नियुक्ति/पदस्थापन बाबत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जायें ।

उक्त चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन हेतु पूर्व में विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.28( )पंरावि/प्रशा.2/ग्रा.से.भर्ती/पार्ट/2016/4322 दिनांक 17.11.2017 में उल्लेखित प्रक्रिया/निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे ।

ग्राम सेवक सीधी भर्ती–2016 में अन्तिम रूप से चयनित उक्त अभ्यर्थियों का चयन एवं पदस्थापन याचिका सं. एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 8982/2017, याचिका सं. एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 10296/2017, याचिका सं. एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 9696/2017 के अध्यधीन रहेगा । इस आशय का नोट इनके पदस्थापन आदेश में अंकित किया जावे ।

आपके जिले को आवंटित पात्र अभ्यर्थियों की सूची एवं उनके फार्म प्राप्त किये जाने हेतु किसी अधिकारी/कार्मिक को दिनांक 28.02.2018 को विभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

संलग्न :–

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर ।
7. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रशिक्षण) पंचायती राज, मुख्यालय ।
8. शासन उप सचिव (विधि), पंचायती राज, मुख्यालय ।
9. प्रोग्रामर, पंचायती राज मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
10. रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव